संख्याः 11593/नौ-5-2021-142सा/2021

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
2- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ।
3- निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ, दिनांक 07 जनवरी, 2022

विषयः निर्माण कार्यों में परफार्मेंस सिक्योरिटी के संबंध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह आया है कि नगर विकास विभाग से संबंधित कार्यदायी संस्थाओं यथा- उ0प्र0 जल निगम/सीएण्डडीएस/स्थानीय निकायों के अन्तर्गत कार्य के परफार्मेंस सिक्योरिटी के विषयगत अनुबन्धित लागत का 10 प्रतिशत परफार्मेंस सिक्योरिटी के रूप में सामान्यतः रखा जाता है और असामान्य न्यून बिड में अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी ली जाती है। इस विषयगत भारत सरकार द्वारा निर्गत Office Memorandum No. F/9/4/2020-PPD दिनांक 12.11.2020 में निम्न निर्देश दिये गये हैः-

(i) In view of all above, it is decided to reduce **Performance Security from existing 5-10% to 3% of the value of the contract** for all existing contracts. However, the benefit of the reduced Performance Security will not be given in the contracts under dispute wherein arbitration/court proceedings have been already started or are contemplated.

(ii) Further, all tenders/contracts issued/concluded till 31.12.2021 should also have the provision of reduced Performance Security.

(iii) In all contracts where Performance Security has been reduced to 3% in view of above stipulations, the reduced percentage of Performance Security shall continue for the entire duration of the contract and there should be no subsequent increase of Performance Security even beyond 31.12.2021.

Similarly, in all contracts entered into with the reduced percentage of Performance Security of 3%, there will be no subsequent increase in Performance Security even beyond 31.12.2021.

(iv) Wherever, there is compelling circumstances to ask for Performance Security in excess of three percent as stipulated above, the same should be done only with the approval of the next higher authority to the authority competent to finalise the particular tender, or the Secretary of the Ministry/ Department, whichever is lower. Specific reasons justifying the exception shall be recorded.

भारत सरकार द्वारा उपरोक्त जारी निर्देशों की समय सीमा अपने परिपत्र संख्या F.9/4/2020-PPD दिनांक 30.12.2021 के माध्यम से दिनांक 31.03.2023 तक बढ़ा दी गयी है (निर्गत निर्देशों की प्रति संलग्न)।

2. भारत सरकार के उपर्युक्त वर्णित निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर विकास विभाग से संबंधित कार्यदायी संस्थाओं यथा- उ0प्र0 जल निगम/सीएण्डडीएस/स्थानीय निकायों में कार्यों की परफार्मेंस सिक्योरिटी के विषयगत निम्नवत व्यवस्था लागू की जाये:-

(क) जहां कहीं भी कार्य हेतु प्राप्त निविदा की लागत कार्य के लिये अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत तक कम प्राप्त हुई हो उन समस्त अनुबंधों में उपरिवर्णित भारत सरकार के द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप परफार्मेंस सिक्योरिटी को 3 प्रतिशत की सीमा तक रखा जाये और उक्त प्राविधान पूर्व से विद्यमान/चल रहे अनुबंधो के लिये भी लागू/प्रभावी होगें। यह ध्यान रखा जायेगा कि उपरोक्त का लाभ विवादित कार्यों/न्यायिक प्रकरणों एवं आर्बिट्रेशन में आच्छादित प्रकरणों हेतु अनुमन्य नहीं होगा।

(ख) जिन कार्यों हेतु प्राप्त निविदा की लागत कार्य हेतु अनुमानित लागत से 10% के नीचे प्राप्त हुई हो तो उस दशा में प्रथम 10% तक के लिये परफार्मेंस सिक्योरिटी 03% ही रहेगी। परन्तु उसके पश्चात् प्रत्येक 1% नीचे दर हेतु 0.5% अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा कराया जाये। अतिरिक्त परफार्मेंस सिक्योरिटी की गणना के विषयगत एक उदाहरण/दृष्टांत परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया जा रहा है।

(ग) यदि किसी विशेष परिस्थिति में कार्य की गुणवत्ता के दृष्टिगत संबंधित अधिकारी उक्त प्राविधानों से अधिक परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा कराना चाहते हैं तो इस विषयगत समुचित कारण का उल्लेख करते हुए प्रकरण शासन को संदर्भित कर अनुमति प्राप्त की जायेगी।

संलग्नक - यथोक्त

भवदीय,

(कल्याण बनर्जी)
कल्याण बनर्जी

संख्या एवं दिनाक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0।
2- निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0।
3- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम उ0प्र0।
4- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र0।
5- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल

आज्ञा से,

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव